International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 09-03-2019; Accepted: 12-04-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 3; May 2019; Page No. 94-96

बाल शिक्षा की पहुॅच निर्धनतम् व्यक्ति तक हो तभी सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास सम्भव है

आलोक कुमार सिंह
सहायक अध्यापक, सत्येन्द्र बहादुर सिंह जूनियर हाईस्कूल राजापुर बिन्धन कुण्डा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

बच्चें राष्ट्र की सर्वोच्च सम्पत्ति एवं अमूल्य धरोहर हैं, ये न केवल राष्ट्र निर्माण की संरचना है बल्कि ये राष्ट्र के प्राचीन व वर्तमान ज्ञान, सांस्कृतिक–सामाजिक विकास एवं भौतिक संपदा के संवाहक भी हैं। राष्ट्रीय विकास में बच्चों का महत्व भावी मानव संसाधन एवं अच्छे नागरिक के रूप में है। स्पष्ट हैं कि हमें अपने भविष्य के निर्माण के लिए बच्चों का सम्पूर्ण एवं समग्र विकास करना होगा। बच्चे मानव संवर्ग के सबसे कोमल, सुकुमार एवं क्रियाशील भाग हैं और यहीवह आयु समूह है। जहॉ से मानव जीवन की आधारशिला, समझने, सीखने जैसे छोटे–छोटे प्रयासों के माध्यम से रखी जाती है। मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण की यह प्रक्रिया प्रारम्भ में बाल शिक्षा के नाम से संज्ञापित की जाती हैं।

वर्तमान विकसित होते भारत में बाल शिक्षा के प्रति सामाजिक आकांक्षा में वृद्धि देखी गयी है। आज बाल शिक्षा धन, साधन, संसाधन से आगे बढ़कर प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बन चुकी है और अभिभावको का यह मौलिक कर्त्तव्य है कि अपने बच्चों को बाल शिक्षा की चौखट तक पहुॅचाएं। हमारे संविधान के महान निर्माताओं ने बाल शिक्षा के महात्म्य को समझा था और इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया था। उनकी अपेक्षा थी कि जब भी राज्य सक्षम होगा वह सभी बच्चों को बाल शिक्षा उपलब्ध कराएगा। आगे चलकर 2009 में हमारी संसद ने अपने लोक कल्याण कारी दायित्वों को ध्यान में रखते हुए बाल शिक्षा को भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया साथ ही माता–पिता या अभिभावको पर यह मूल कर्त्तव्य अभियोजित किया कि वे अपने बच्चों को बाल शिक्षा प्राप्त कराएं। संविधान द्वारा प्रत्याभूत बाल शिक्षा का अधिकार, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा बाल शिक्षा के प्रति शासकीय इच्छा शक्ति के पुनः प्रदर्शन एवं उसे लागू करवाने के यंत्र के रूप में सामाने आया जिसके माध्यम से बाल शिक्षा के अधिकार को अभिनियमित अधिकार के रूप में स्थापित किया गया।

वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपने विभिन्न प्रशासकीय अभिकरणों एवं कार्यक्रमों यथा–सर्वशिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान आदि के माध्यम से लोगों में शिक्षा के प्रति आग्रह के प्रति का निर्माण एवं बच्चों को विद्यालयीय शिक्षा से जोड़ने जैसे प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का प्रभाव यह रहा हैं कि समाज में जो भी बच्चा अपनी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के आलोक में पढ़ने जाने की स्थिति में या विद्यालयीय शिक्षा उस तक पहुंचने में सफल रही है कुल मिलाकर ये प्रयास एक बड़े वर्ग को शिक्षा से जोड़ने में सफल रहे हैं परन्तु बाल शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में संवैधानिक प्रत्याभूति प्राप्त होने के बावजूद, प्रशासकीय प्रयास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस आदर्श को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके है। जिसकी कसौटी अंतिम व्यक्ति तक जाती हैं। वस्तुतः मेरे विचार में बाल शिक्षा का संवैधानिक मूल अधिकार के रूप में उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकेगा जब कि शिक्षा की उपलब्धता समाज के हॉशिए पर खड़े उस अंतिम बच्चे तक होगी जो अपनी परिस्थिति–स्थिति के कारण उसे प्राप्त करने में असफल रहा हैं या रोक दिया गया हैं।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भारत में बाल शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालती है। इस रिर्पोट के अनुसार, भारत विश्व में सर्वाधिक बच्चों वाला देश है, जहॉ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 37.5 करोड़ है। जिसमें से 3 करोड़ से भी अधिक बच्चे विद्यालयीय शिक्षा तक पहुॅच पाने में असफल रहे हैं। ध्यातव्य है कि, यह स्थिति भारत में बाल शिक्षा को विभिन्न एवं संवैधानिक अधिकार का स्वरूप पाने के बावजूद है। अग्रेतर रिर्पोट यह भी बताती है कि भारत में दो करोड़ से अधिक बच्चे श्रमजीवी हैं जो दुकानों पर नौकर, वोटर, जोखिमपूर्ण औद्योगिक श्रमिक के रूप में आजीविका के लिए यत्नशील हैं। अग्रेतर रिर्पोट यह भी है कि श्रमजीवी बच्चों में से दो तिहाई बच्चे गम्भीर चोटों, जलन, त्वचारोग, ऑख की रोशनी, सांसों की बीमारी सहते हुए असहाय सा जीवन जीने को बाध्य हैं।

वस्तुतः समाज के मुख्यधारा के आस–पास जीवन जी रहा रहा यह वर्ग आर्थिक रूप से विपन्न, सामाजिक रूप से अप्रगणित और राजनीतिक रूप से अनजाना है। वस्तुतः ये भूमिहीन, खानाबदोश, वोटरलिस्ट में अमुद्रित राशनकार्ड से वंचित लोग हैं अगर ये सरकारी नीतियों, लक्ष्यों एवं प्रत्याभूतियों से भी दूर रह जाते है तो, सरकारी कागजों में अप्रगणित होने के कारण अपना कोई प्रभाव नहीं रखते। यही कारण है कि इस वर्ग के बच्चों को बाल शिक्षा का अधिकार मिले या न मिले प्रशासकीय अभिकरणों एवं अभियानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बच्चों का यह वर्ग शिक्षा से दूर अपने रोजमर्या के जीवन–यापन में अपना भविष्य हथेली पर रखकर लगा हुआ है।

मैंने अपने अध्ययन के क्रम में यह पाया कि वस्तुतः यह वर्ग शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ नहीं है लेकिन शिक्षा के प्रति अनिच्छुक सा जरूर प्रतीत होता है।

इसी क्रम में यहॉ पर मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूॅः–

राम लीला मैदान प्रतापगढ़ में मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चों के बीच काम करते हुए मैंने बच्चों एवं अभिभावकों के बीच अनिच्छा एवं उसके स्तर को देखा एवं परखा, प्रारम्भ में जब हम उनके बीच गए उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उनको विद्यालय जाने के बारे में कहा तो हमने पाया कि–अभिभावक शिक्षा से अधिक राशन कार्ड, बैंक खाता जैसी सामाजिक सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि ये बच्चे दिन भर भीख मॉगने, कूड़ा बिनने, किसी का कोई छोटा–मोटा काम करने जैसा काम करते हैं। जिससे प्राप्त कमायी शाम को परिवार के लिए रोटी प्राप्त करने का साधन है। अभिभावक अपने इस बाल श्रम जीवी संसाधनों को विद्यालयीय शिक्षा के नाम पर खोना नहीं चाहते।

यदि हम उनकी इस अनिच्छा के पीछे के विमर्श को खोजने का यत्न करें तो हम यह पाते हैं कि ये अभिभावक भी शिक्षा के परम्परागत् उद्देश्य को समझते हैं। वे इस बात को समझते हैं

कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण हैं या कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण हैं क्योंकि, शिक्षा के प्रति प्रेरित करने पर वे तपाक् से कहते हैं, क्या साहब हम तो बहुत गरीब हैं पढ़ लिख कर क्या होगा! हम सबके जैसे नहीं बन पाएंगे।

वस्तुतः आज शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के प्रसार में बाधक बना हुआ है। अब वह समय आ गया है कि जबकि शिक्षा के उद्देश्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण से आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को सर्वोत्कृष्ट स्तर तक विकसित करके उसको रोजगार से जोड़ते हुए राष्ट्र के विकास में सहभागी बनाना तक ले जाया जाए।

इसके पीछे का मेरा तर्क यह हैं कि यदि शिक्षा का यह उद्देश्य स्थापित किया जाए तो समाज के प्रत्येक वर्ग में शिक्षा के प्रति नयी आशा का सृजन होगा और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का सहज अकांक्षी हो जाएगा और दुर्बल वर्ग भी अपने बेहतर भविष्य को देखते हुए अपनी हीन भावना का त्याग कर सकेगा। अग्रेतर यह तर्क भी है कि शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त रोजगार सबको मिल सकेगा। जिससे प्रत्येक वर्ग रोजी रोटी की आशा में समुचित शिक्षा प्राप्त करने को प्रोत्साहित होगा।

वस्तुतः इस वर्ग की शिक्षा के प्रति अनिच्छा की भावना का मुख्य कारण अपनी खराब आर्थिक स्थिति व हीनभावना है। जिससे कारण वे मात्र अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं।जिस कारण इन बच्चों को श्रमजीवी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है और ये शिक्षा से कोसों दूर हैं।

मलिन बस्ती के बच्चों के बीच काम करते हुए मैंने पाया कि इनकी अनिच्छा को पढ़ाई के महत्व एवं उनकी वर्तमान् जरूरतों के हल के रूप में शिक्षा के जरूरत को समझा कर कम किया जा सकता था। इस दिशा में कार्य करते हुए मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ:–

मैंने एक बच्चें से पूछा – तुम्हारा क्या नाम है ?

उसने बताया मेरा नाम गोविन्दा हैं।

अब मैंने उसका नाम एक कागज पर लिखा और उसे दिखाकर पूछा – यह क्या है ?

उसका उत्तर था – पता नहीं।

मैंने उसे बताया यह तुम्हारा नाम लिखा है।

यह जानने के बाद की उस कागज पर उसका अपना नाम लिखा है, उस बच्चे का उस कागज के टुकड़े से लगाव बढ़ गया और उसे उसने अपनी जेब में रख लिया।

मैंने उसे समझाया कि अगर तुम पढ़ो–लिखो तो तुम खुद भी अपना नाम लिख सकते हो और दूसरों का नाम भी लिख और पढ़ सकते हो।

अग्रेतर एक अनुभव यह था कि –

मैंने बच्चों को लैपटाप पर कुछ वीडियो दिखाए जिनमें कार्टून, कुछ फिल्मी गाने, कुछ सामान्य शिक्षा प्रद बातें, बड़ी इमारतों के चित्र आदि थे।

मैंने उनसे पूछा कि क्या वे – चित्र में बने मकानों में रहना वाहते हैं ?

क्या वे – ट्रेन चलाना चाहते हैं ?

बच्चों ने वीडियों और चित्रों को ध्यान और कौतुहल से देखा और मेरे प्रश्नों का जवाब अपने अचरज भरे हॉ में दिया।

तभी एक बच्चा मुझसे धीरे से पूछ पड़ा – क्या हम मिट्री (मिलिटरी) बन सकते है ?

मैंने उससे पूछा मिलिटरी में क्यों जाना चाहते हो ?

उसका उत्तर था क्योंकि वो अच्छे लोगों के लिए लड़ते हैं ?

मैंने उसे समझाया कि वो भी मिलिटरी में जा सकता है लेकिन इसके लिए उसे पढ़ना–लिखना होगा और उसे एक स्वस्थ शरीर का व्यक्ति बनना पड़ेगा।

और हॉ मिलिटरी सच्चाई के साथ–साथ देश के लिए भी लड़ती है और तुम भी उसी देश का हिस्सा हो।

यह बात जानकर वह काफी खुश हुआ और पढ़ने जाने के लिए अपनी आतुरता जतायी।

इस प्रकार से बाल मन को टटोल कर मैंने पाया कि समाज और विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते है। उनका सुकुमार मन बाल श्रम की जगह बाल शिक्षा पाना चाहते है लेकिन उनकी परिस्थितियॉ उन्हें शिक्षा से दूर कर शिक्षा के प्रति अनिच्छा के भाव लाने में सफल रहती हैं।

यहॉ पर मैं एक और दृष्टान्त प्रस्तुत कर रहा हूँ –

उस मलिन बस्ती के दो बच्चें 2–4 दिन के लिए कुछ वर्षो पूर्व विद्यालय जा चुके थे। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि – आप जिस स्कूल में पढ़ने जाने के लिए कह रहे हैं क्या वह एक अच्छा स्कूल हैं ?

इस प्रश्न को सुनकर मैं अवाक् रह गया। मुझे उससे ऐसे प्रश्न की अपेछा नहीं थी। उसका यह प्रश्न इस तथ्य को आगे बढ़ाता था कि समाज के हॉशिए पर खड़ा वह बच्चा जो बाल शिक्षा प्राप्ति की पंक्ति में लगभग अंतिम ही है शिक्षा के प्रति वही इच्छा रखता है जो मुख्य धारा या शहर के धनाड्य वर्ग के बच्चे का अभिभावक। सम्पन्न अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है और यह गरीब श्रमजीवी बच्चा जो अभी केवल पढ़ने और शिक्षा प्राप्त करने की सोच सकता है। वह अच्छी शिक्षा अच्छे स्कूल में प्राप्त करना चाहता है। स्पष्ट हैं कि इन बच्चों का विद्यालय शिक्षा से न जुड़ पाना इनकी अनिच्छा नहीं है। यह इनकी विपन्नता है जो इन्हें शिक्षा से दूर रखने में कामयाब होती जा रही हैं।

मैंने पाया कि स्कूल के अच्छा होने के प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए सभी बच्चे आतुर थे। मैंने उन्हें बताया कि वह स्कूल एक अच्छा स्कूल है। वह एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय है जहॉ अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती हैं साथ ही वहॉ आप लोगों के लिए ड्रेस किताब कॉपी बस्ता और साथ में दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी होगी।

इसलिए विद्यालय अच्छा है। बच्चे दोपहर के भोजन की व्यवस्था के नाम पर काफी खुश हुए क्योंकि अब दोपहर में खाने के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा।

समग्रतः आज जब कि भारत ई गवर्नेन्स से एम गवर्नेन्स की ओर बढ़ने को तैयार खड़ा हैं। हम अपने राष्ट्रीय विकास को सम्पूर्ण तब तक नहीं बना सकेंगे और अपनी राष्ट्रीय नीतियों के लक्षित लक्ष्यों को तब तक नहीं पा सकेंगे। जब तक शिक्षा से वंचित बाल वर्ग को शिक्षित कर उन्हें भी विकास के इन प्रतिमानों का लाभार्थी नहीं बनाएंगे और इस कार्य के लिए निम्नलिखित प्रयास किय जाने चाहिए –

- समाज के हॉशिए पर जी रहे वास्तविक लोगों की पहचान की जाए विशेष रूप से उन लोगों की जो भूमिहीन, खानाबदोष, किसी सरकारी या गैर सरकारी जमीन पर झोपड़ी डाल कर रह रहे हैं।
- इन परिवारों को राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, बैंक खाते जैसी सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं।
- इस वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को शिक्षा का महत्व बताने के लिए और शिक्षा से जोड़ने के लिए कैम्प एवं काउन्सिलिंग दलों को नियुक्त किया जाए तथा वर्तमान में सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की पहुंच बनायी जाए।

  ताकि उन लोगों के मन में शिक्षा के प्रति जो अनिच्छा का भाव है और उसके मूल में जो विपन्नता है उसको सामाजिक सहायता द्वारा दूर किया जा सके और इन बच्चों को भी बाल शिक्षा के चौखट तक पहुँचाया जा सके।

संदर्भ

1. 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्देइ 21 क मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान करता है– शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009.
2. http://unicef.in/Whatwedo/40/Early-Childhood-Education/accessedby/11.04.2019
3. https://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm/accesssedby/13.04.2019